HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला के मामले में 02 अभियुक्तों को 04 वर्ष का साधारण कारावास व 5,500-5,500/- रुपये (कुल 11,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 30.06.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 04.12.2022 को अभियुक्तगण 1. आबिद व 2. बाबर पुत्रगण नाजिम निवासी ग्राम मुरादपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ द्वारा वादी के घर में घुसकर गाली-गलोज करना व जान से मारने की नीयत से मारपीट कर घर पर पथराव करना व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 471/2022 धारा 308, 323, 504, 452, 34 भादवि व 3(2)Va एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 14.02.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 30.06.25 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा 04 वर्ष का साधारण कारावास व 5,500-5,500/- रुपये (कुल 11,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती विनीता त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती स्तुति सिंह (तत्कालीन क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर) एवं पैरोकार का0 अनुज व कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 श्री आदेश कुमार का विशेष योगदान रहा।